सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

...अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

...संख्या– 159/2014
...राजकुमारी पत्नी शिवशंकर 2–धर्मेन्द्रकुमार 3–जीतेन्द्र 4–श्यामसुन्दर पुत्रगण शिवशंकर ...जातिगण राय निवासीगण बसईनबाब तहसील सैपऊ

– – – – वादी

बनाम

1–मुन्नालाल पुत्रश्री बाबूलाल जाति राय निवासी बसईनबाब 2–योगेश पुत्र रामखिलाडी 3–गोपाल पुत्र गुडडी पत्नी योगेश 4–हरेन्द्र पुत्र गुडडी पत्नी योगेश 5–नरेन्द्र पुत्र गुडडी पत्नी योगेश 6–पंकज उम्र 13 वर्ष पुत्र गुडडी पत्नी योगेश 7–सनी उम्र 11 वर्ष पुत्र गुडडी पत्नी योगेश 8–बंदना उम्र 15 साल पुत्री गुडडी पत्नी योगेश जाति राय व सरपरस्ती पिता योगेश निवासीगण रामनगर तहसील व जिला फिरोजाबाद 9–अमरसिह पुत्र बालमकुन्द जाति त्यागी 10–महाराजसिह पुत्र नेतराम जाति त्यागी 11–निराशा पत्नी दाताराम जाति त्यागी 12–रूपसिह पुत्र नेतराम जाति त्यागी 13–अतरदेई पत्नी रूपसिह जाति त्यागी समस्त निवासीगण बसईनबाब तहसील सैपऊ
14–पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रवन्धक
15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

– – – – प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एंव स्थाई
निषेधाज्ञा धारा 53,188 अीटीए

उपस्थिति –1–श्री सुरेन्द्र दुबे एडवोकेट .... (वादी)
2–श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट..........(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी जिला–धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 13.06.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 11.11.2014 को वास्ते बटवारा ...विवादित आराजी खसरा नम्बर 4763, 4764, 4765, 4709, 4766 स्थित वाके ग्राम बसईनबाब बी तहसील सेपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये एंव बटवारा कराने का निवेदन किया तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 01.11.2018 को दावा प्रारंभिक रूप से डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/180 दिनांक 07.03.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में

उपखण्ड अधिकारी

तिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन ... वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित ... इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से ... ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी ... किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी ... उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बसईनबाब बी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. राजकुमारी पत्नी शिवशंकर हि0 3/34, धर्मेन्द्रकुमार, जीतेन्द्रकुमार, श्यामसुन्दर पिसरान शिवशंकर सा0 देह हि0 21/34 गोपाल, हरेन्द्र, नरेन्द्र बालिग पंकज, सनी नावा0 पुत्रांन योगेश बन्दना नावा0 पुत्री योगेश हि0 10/34 जाति राय सा0 रामनगर फिरोजावाद खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	4766	1.08	4.20
2.	4765/1	0.06	0.90
योग	2	1.14	5.10

2. अमरसिह पुत्र बालमकुन्द हि0 29/78, महाराजसिह पुत्र नेतराम हि0 11/56, रूपसिह पुत्र नेतराम हि0 47/156, अतरदेई पत्नी रूपसिह हि0 10/78, निराशा पत्नी दाताराम हि0 10/78 जाति त्यागी सा0 देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	4709	1.14	6.80
2.	4763	0.16	2.40
3.	4764	0.18	2.70
4.	4765/2	0.10	1.50
योग	4	3.18	13.40

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
जिला–धौलपुर (राज0)